

माता-पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम).....
जिसके पाल्य नामतः (छात्र/छात्रा का पूरा नाम) को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समादिष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरा तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान ने रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाता/जाती अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कारवाई का वह भागीदारी होगा/होगी वह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम) श्री/श्रीमती/सुश्री.....
एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगा/होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग माना गया है।
(ख) मेरी संतान जानबूझ कर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगा/होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगा/होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगा/करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाया/पाई जाता/जाती है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदारी होगा/होगी जो किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अनुसार होगा।
6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने का अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने का कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया : दिन..... माह..... वर्ष.....

शपथकर्ता/शपथकर्त्री के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दूरभाष/मो. नं. :

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई बात न तो छिपाई गई है और न ही अयथार्थ कही गई है।

सत्यापित (स्थान)..... दिन..... माह..... वर्ष.....

शपथकर्ता/शपथकर्त्री के हस्ताक्षर